तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

बनाम

1. राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर जिला उ

उपस्थित : श्री विनोद कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधि

निर्णय

दि

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में किया कि मौजा जोरजी का खेड़ा पटवार मण्डल ढावा व वल्लभनगर में स्थित आराजियात के खाता संख्या 49 नई पुरान नम्बर 340, 341, 342, 183, 339, 343, 344 किता–7 रकबा 23 भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्से से

2. निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का नाम मिकेश जैन था परन्तु हल्का द्वारा राजस्व रेकार्ड में मिकेश अंकित नहीं करते हुऐ मिठ्ठ दिया जबकि मैरा नाम मिकेशहै मैरे नाम की ताईद में ग्राम पंच पत्र, राजस्थान पत्रिका का ज्ञापन, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राज में अधिसूचना का प्रकाशन की प्रति, राजस्थान राजपत्र साधारण र का बिल, राशन कार्ड, मिकेश के नाम का बैंक बचत खाता

उपखण्ड अ
वल्लभनग

सहकारी बैंक शाखा नवानियॉ खाता संख्या 459 के नाम से बनें हुऐ है । वक्त पटवारी हल्का द्वारा मैरे पिता की मृत्यु के समय मै घर पर शोक में बैठा हुआ था किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मिकेश के बजाय मिठ्ठालाल अंकित करा दिया जबकि मैरा वास्तविक नाम **मिकेश जैन** है ।

3. कहा कि उपरोक्तानुसार मैरे सारे रेकार्ड में मिकेश जैन है लेकिन राजस्व रेकार्ड में मिठ्ठालाल जैन अंकित है उसके स्थान पर मिकेश जैन किया जाना अत्यावश्यक है ।

4. उक्त त्रुटि सहवन से हुई है जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है । उक्त त्रुटि को बिना दुरस्त कराये मुझ प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ । इस प्रकार से मुझ प्रार्थी का सही नाम मिकेश होने से जहॉ जहॉ भी राजस्व रेकार्ड में मिठ्ठालाल अंकित किया गया है उस स्थान पर मिकेश जैन अंकित कराया जाना आवश्यक है । अतः निवेदन है कि जहॉ जहॉ भी राजस्व रेकार्ड में मिठ्ठालाल अंकित किया गया है उस स्थान पर मिकेश जैन प्रतिस्थापित कराया जाने का आदेश बक्षाया जावे ।

5. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र, राजस्थान पत्रिका का ज्ञापन, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राजस्थान राज्य पत्र में अधिसूचना का प्रकाशन की प्रति, राजस्थान राजपत्र साधारण राज, विद्युत विभाग का बिल, राशन कार्ड, मिकेश के नाम का बैंक बचत खाता पास बुक, मिनी सहकारी बैंक शाखा नवानियॉ खाता संख्या 459, नकल जमाबन्दी सम्वत 2051–54, पेश किये गये है ।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया । विपक्षी की ओर से राजपैरोकार उपस्थित है । राजपैरोकार से रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा दिनांक 08.03.17 को रिपोर्ट पेश की उससे जाहीर आया है कि प्रार्थी का नाम पहले मिठ्ठालाल पिता चुन्नीलाल महाजन था जिसे उसनें मिकेश जैन परिवर्तित कराने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है । दोनों एक ही व्यक्ति है । नाम परिवर्तित किये जाने की अनुशंषा की है ।

7. हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को समायत किया । प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन् किया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र, राजस्थान पत्रिका का ज्ञापन, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राजस्थान राज्य पत्र में अधिसूचना का प्रकाशन की प्रति, राजस्थान राजपत्र साधारण राज, विद्युत विभाग का बिल, राशन कार्ड, मिकेश के नाम का बैंक बचत खाता पास बुक, मिनी सहकारी बैंक शाखा नवानियॉ खाता संख्या 459, एवम नकल जमाबन्दी सम्वत 2051—54 का अवलोकन किया । हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि प्रार्थी द्वारा जो उक्त दस्तावेजात पेश किये गये है उन सभी में प्रार्थी का नाम मिकेश जैन पिता चुन्नीलाल जैन निवासी नवानिया है किन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मिठालाल पिता चुन्नीलाल महाजन सा.नवानिया है । जिससे प्रार्थी राजस्व सम्बन्धित लाभों का लाभ नहीं ले पा रहा है इस कारण से प्रार्थी अपना नाम राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन कराना चाहता है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

8. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार वल्लभनगर को आदेशित किया जाता है कि मौजा जोरजी का खेड़ा पटवार मण्डल ढावा व नवानिया तहसील वल्लभनगर में स्थित राजस्व रेकार्ड के खाता संख्या 49 नई पुरानी 46 में आराजी नम्बर 340, 341, 342, 183, 339, 343, 344 किता—7 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा भूमि में जहॉ जहॉ प्रार्थी का नाम मिठालाल पिता चुन्नीलाल महाजन सा. नवानिया आया है उसके स्थान पर श्री मिकेश जैन पिता चुन्नीलाल जैन (मुसलिया) निवासी नवानिया प्रतिस्थापित किया जावे ।

9. तहसीलदार वल्लभनगर को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया ।

(वार सिंह) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर